



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



18 आश्विन, 1945 (श०)

संख्या - 599 राँची, मंगलवार,

10 अक्टूबर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

18 सितम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-29/2020-24159(HRMS)--श्री मनोज कुमार तिवारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-468/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मेराल, गढ़वा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3318, दिनांक 27.09.2021 के माध्यम से उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-119/स्था0, दिनांक 18.02.2021 द्वारा गठित आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध COVID.19 जैसे वैश्विक महामारी के दौरान प्रखण्ड कार्यालय से अनुपस्थित पाये जाने, प्रखण्ड मुख्यालय में उपस्थित होने का निदेश दिये जाने के बाद भी प्रखण्ड मुख्यालय में उपस्थित होने के बजाय अन्यत्र क्षेत्र में चले जाना, Lockdown संबंधी दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरतने, प्रखण्ड मुख्यालय में आवासन नहीं करने, सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बगैर अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8100, दिनांक 36.11.2021 द्वारा श्री तिवारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है। श्री तिवारी के पत्रांक-909, दिनांक 29.08.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। श्री तिवारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) Covid.19 दौरान दिनांक 24.03.2020 को Lockdown में उपायुक्त, गढ़वा द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, उससे पूर्व 10:00 बजे उपायुक्त से उनकी बात हुई थी, जिसमें उपायुक्त ने उनको 5 मिनट में अपने समक्ष उपस्थित होने को कहा था। उपायुक्त को इन्होंने वस्तुस्थिति बताया था, पर वे बहुत अधिक क्रोध में थे और अपशब्दों को प्रयोग कर रहे थे, जिसके कारण उनकी सामान्य बुद्धि में आया कि तत्काल उनके समक्ष जाना ठीक नहीं होगा। 23.03.2022 को रात्रि में पैतृक गृह मेदनीनगर (पलामू) जाने के संबंध में उनके द्वारा कहा गया कि रात्रि 7:30 बजे मेदनीनगर इसलिए गया था कि 95 वर्षीय पिता बीमार हो गये थे और उन्होंने सोचा कि रात्रि 11.00 बजे तक वापस गढ़वा आ जायेंगे और इसीलिए इसकी सूचना उपायुक्त महोदय को नहीं दे पाये। इन्होंने जानबुझकर लापरवाही नहीं किया है। इन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है, जिससे लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित हो, जो भी हुआ, वो परिस्थिति जन्य है। वे अपने नियंत्री पदाधिकारी के आदेश/निर्देश के प्रति सदैव गंभीर रहे हैं ।

(ii) इनको उपायुक्त द्वारा 10.00 बजे दूरभाष के माध्यम से स्पष्ट तौर पर प्रखण्ड मुख्यालय में मेराल में उपस्थित होने नहीं कहा गया था बल्कि अपने समक्ष गढ़वा, (जिला मुख्यालय) में उपस्थिति होने को कहा गया था। उपायुक्त अत्यधिक क्रोध में थे, इसलिये भयवश तत्काल उनके समक्ष उपस्थित नहीं हो सके और Covid-19 से संबंधित कार्य को लेकर क्षेत्र में चले गये। इन्होंने सोचा, जब उनका गुस्सा शांत हो जायेगा, तो उनसे मिलकर वस्तुस्थिति से अवगत करा देंगे। उपायुक्त प्रखण्ड कार्यालय गये हैं, इसकी सूचना उनको प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के फोन आने पर हुआ। उपायुक्त के आने की पता होने पर इन्होंने प्रखण्ड कार्यालय कि ओर जा रहे थे, तभी अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा का फोन आया कि तुम अपना Live location दो और वही रुक जाओ। इन्होंने अपना Live location दिया और वहीं (खोरीडीह पंचायत भवन) रुक गये। अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा के साथ लगभग 1:15 में वे गोपनीय कार्यालय, उपायुक्त आवास, गढ़वा पहुँचे। उनसे मिलकर वस्तुस्थिति स्पष्ट करना चाहा, पर उन्होंने इनसे मिलने से स्पष्ट मना कर दिये ।

(iii) सरकार द्वारा अधिसूचित Lockdown के दौरान इसे लागू कराने हेतु निदेश दिया गया था। दिनांक 23.03.2020 को ससमय प्रखण्ड कार्यालय आये और प्रखण्ड कार्यालय से क्षेत्र में Lockdown कराने निकल गये, मेराल बाजार मेडिकल, खाद्य सामग्री की दूकानों को छोड़कर सभी दूकानों को बंद कराये। आते-जाते वाहनों को भी रोक कर सड़क पर न चलने का निर्देश दिये। दिनांक 24.03.2020 को मेराल प्रखण्ड की ओर से गढ़वा की ओर वाहन आ रहे थे। मेराल थाना गेट पर नाका लगाया गया था और इनको प्रखण्ड पहुँचने में देर हुई। परन्तु अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी तो मेराल में ही थे, पर दोषी सीर्फ इनको माना गया। दिनांक 23.03.2020 को घोषित हुआ और दिनांक 24.03.2020 को संध्या 5 बजे उपायुक्त, गढ़वा के ज्ञापक-111/स्था०, दिनांक

24.03.2020 के आदेशानुसार मेराल प्रखण्ड का सम्पूर्ण प्रभार अंचलाधिकारी, मेराल को सौंप दिया। अतः उनके द्वारा Covid-19 से संबंधित कार्यों में कोई शिथिलता नहीं बरती गई है।

(iv) मेराल प्रखण्ड में प्रखण्ड कर्मियों के लिए सरकारी आवास नहीं बना है और न ही निजी मकान किराये पर उपलब्ध होता है। इन्होंने अपना आवासन मेराल प्रखण्ड से सटे जिला मुख्यालय, गढ़वा में और बाद में तिवारी मार्ग शिवपुरी मोहल्ला, चिनियाँ रोड़ रखे थे। मेराल प्रखण्ड में न तो उनके पूर्ववर्ती न ही उत्तरवर्ती और न ही निवर्तमान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपना आवासन रखे हैं।

(v) वे मेराल प्रखण्ड में पदस्थापन अवधि (20.08.2018 से 24.03.2020 एवं 20.04.2020 से 06.08.2020) में दो दिनों की अवकाश बटे के Admission के लिए और अपने बड़े भाई के मृत्यु होने पर उनके क्रिया क्रम के लिए लगातार 10 दिनों की अवकाश में रहे। पुनः अपने निजी कार्य से 2 दिनों का अवकाश लिये अपने चचेरे भाई के बेटी की शादि में भी 2 दिनों का अवकाश लिये हैं।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मेराल के रूप में एवं अन्य सौंपे गये कार्य पूरी तन्यमयता से किये हैं। प्रखण्ड में पदस्थापन के दौरान GPDP, नरेगा, PMAY-G पेंशन, 14वें वित्त, लोकसभा, विधानसभा चुनाव के अलावा उपायुक्त द्वारा समय समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों को सम्पन्न किया, पर किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं हुई।

वे किसी भी दिन नियंत्री पदाधिकारी के आदेश के बगैर प्रखण्ड से अनुपस्थित नहीं रहे हैं। प्रखण्ड मेराल में कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी से बचाव हेतु जब तक ये उक्त प्रखण्ड में पदस्थापित थे, तो सरकार के Lockdown आदेश को लागू करने में लगातार लगे रहे तथा किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती। पिताजी के बीमार रहने के कारण दिनांक 24.03.2020 को आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, जिसके लिए वे क्षामाप्रार्थी हैं।

श्री तिवारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री तिवारी द्वारा 95 वर्षीय बीमार पिता से मिलने जाने के कारण वे दिनांक 23.03.2020 को प्रखण्ड मुख्यालय में अनुपस्थित थे, परन्तु दिनांक 24.03.2020 को वापस आ गये थे।

अतः समीक्षोपरांत, श्री मनोज कुमार तिवारी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मेराल, गढ़वा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनोज कुमार तिवारी, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANOJ KR. TIWARI JHK/JAS/304	श्री मनोज कुमार तिवारी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मेराल, गढ़वा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
